4/2	प्रार्थी द्वारा श्री आशीष आर्य अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके अधिवक्ता को आज सुना गया, लेकिन अभी तक न्यायालय समक्ष प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता को आज दिनांक तक कोई उत्तर नहीं मिला। विधायक बाबूलाल सालवी आज दिल्ली प्रवास पर होने के कारण नहीं आ पाए। अतः अग्रिम न्यायालय का अधिवेशन सत्र समाप्ति तक स्थगित किया जाता है। प्रार्थी द्वारा तामील तामील दर्शाया जावे।	147/20

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा